अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 58328 - 70 जयपुर, दिनांकः 18/7/12

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण आदि के सम्बन्ध में।

संदर्भः– विभागीय आदेश क्रमांक–54518–51 दिनांक–06.07.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं पोषाहार स्टॉक के भौतिक निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक दूसरी परियोजना के पोषाहार भण्डारण एवं स्टॉक की जांच का दायित्व देवें अर्थात एक बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी परियोजना के पूरक पोषाहार के स्टॉक की जांच नहीं करके आपके निर्देशानुसार जिले की अन्य परियोजना में पूरक पोषाहार के भण्डारण एवं स्टॉक की जांच कर अपनी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आपके जिले में संचालित समस्त परियोजनाओं में वर्ष–2011–2012 एवं 2012–2013 के दौरान केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त एवं वितरित पूरक पोषाहार के भण्डार एवं स्टॉक की क्रॉस जांच का कार्य दिनांक–23.07.2012 से 28.07.2012 के दौरान करवाकर निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण–पत्र निदेशालय को प्रेषित करावें :–

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला .... के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं में वर्ष–2011–12 एवं 2012–13 के दौरान केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त एवं वितरित पूरक पोषाहार के भण्डार एवं स्टॉक की क्रॉस जांच विभागीय निर्देशानुसार करा ली गई है। निरीक्षण दिनांक को भण्डार में उपलब्ध स्टॉक एवं स्टॉक पंजिका में उल्लेखित अवशेष भौतिक रूप से सही पाया गया अथवा निम्नलिखित कमियां पाई गई :–

1
2

हस्ताक्षर उप निदेशक

उक्त सूचना दिनांक–31 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से फैक्स न0 0141–2705638, 0141–2700281 अथवा ईमेल आई. डी. director.wcd@rajasthan.gov.in अथवा adn.wcd@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

संलग्न – प्रपत्र संख्या – 1

P.T.O.

क्रमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/58371-90 जयपुर, दिनांकः 18/7/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

प्रपत्र

बाल विकास परियोजना अधिकारी ....

केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार सामग्री हलवा/पंजीरी/उपमा प्रीमिक्स के भौतिक सत्यापन का परिणाम

माह अप्रैल, 2011 से जूलाई, 2012 तक प्राप्त एवं वितरित पूरक पोषाहार का विवरण –

पोषाहार का नाम .... लाभान्वितों की श्रेणी ....

(मात्रा मै.टन में)

क्र. सं.	माह का नाम	स्टॉक पंजिका पृष्ठ सं.	पंजिका के अनुसार 01.04.2011 को प्रारम्भिक शेष	माह में प्राप्त पोषाहार की मात्रा	आंगनबाडी केन्द्र को वितरित पोषाहार की मात्रा	पोषाहार की शेष मात्रा	भौतिक सत्यापन के अनुसार पोषाहार की मात्रा	कम	अधिक	वि. विवरण

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
नाम एवं पद

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता अधिकारी
नाम एवं पद

नोट– 1. समेकित बाल विकास सेवाएं/ राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (RGSEAG) –सबला योजना हेतु पृथक पृथक प्रपत्र तैयार किया जावें।

2. लाभान्वितों की श्रेणी के अनुसार प्रत्येक पूरक पोषाहार का अलग–अलग प्रपत्र तैयार किया जावें।

3. अवधिपार पूरक पोषाहार, यदि कोई है, तो उसकी मात्रा एवं इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम स्पष्ट रूप अंकित किया जावें।